न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केंप भोपाल

मेसर्स पुण्यशिला आटो मोबाईल
इब्राहिम चौक होशंगाबाद
मार्फत–भागीदार प्रीतमसिंह रघुवंशी
आ.हजारीलाल रघुवंशी ,निवासी होशंगाबाद
तह. व जिला होशंगाबाद.....आवेदक

बनाम

1.म.प्र.राज्य मार्फत–
कलेक्टर महोदय होशंगाबाद.
2.कलेक्टर आफ स्टाम्प एवं
पंजीयक महोदय होशंगाबाद
कलेक्टर कार्यालय होशंगाबाद.....अनावेदकगण

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 35 (3)म.प्र.भू.रा.संहिता

आवेदक की ओरसे निम्न निवेदन है:–

1. यह कि आवेदक के द्वारा धारा 56 भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अंतर्गत पुनरीक्षण याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी जो कि अदम पैरवी में निरस्त कर दी गयी ।

2. यह कि आवेदक के अधिवक्ता के द्वारा प्रकरण निरस्ती दिनॉक को ही एक आवेदन पत्र प्रकरण को पुनः नंबर पर कायम कियें जाने वास्ते प्रस्तुत किया गया ।जिसे माननीय न्यायालय के द्वारा तर्क श्रवण करने के उपरांत 500/– रूपये परिव्यय पर स्वीकार किया गया था ।

3. यह कि आवेदक के अधिवक्ता की ओर से आवेदन पत्र भोपाल केंप में प्रस्तुत किये जाने के कारण उक्त आवेदनपत्र पर तत्काल आदेश पारित नहीं हो सका और केंप खत्म हो जाने के कारण प्रकरण राजस्व

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रेस्टोरेशन 9042–पीबीआर/16 [कु. पुण्यशिला/आसन] जिला होशंगाबाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2–3–2017	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । यह रेस्टोरेशन आवेदन इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–2–15 के विरूद्ध दिनांक 4–8–16 को लगभग 16 माह से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है तथा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन में विलम्ब का कारण आदेश की जानकारी न होना बताया है, जो समाधानकारक मान्य नहीं किया जा सकता है । अतः यह रेस्टोरेशन आवेदन अवधि बाह्य होने से अग्राह्य किया जाता है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	